न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 82/2017

श्याम शर्मा पुत्र स्व0 श्री रूपनारायण शर्मा निवासी छीपो का मोहल्ला पुरानी टोंक राज0
––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार पीपलू –प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 10.01.2017**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार पीपलू को आवेदन पत्र दिनांक 19.09.2017 को प्रेषित कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

श्रीमान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मे अन्तर्गत अपील प्रार्थना पत्र दिनांक 25.05.2017 को प्रस्तुत किया गया था,जिसकी अपील प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर टोंक के निर्णय दिनांक 30.08.2017 से आप द्वारा प्रार्थी को सूचना देने हेतु लिखा गया है।

आप द्वारा दि गई सूचना मे उनवानी प्रकरण जुगलकिशोर बनाम शकील मियां नामान्तकरण अपील संख्या 03/1996 उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 31.01.2003 से खारिज होना बताया है।

बिन्दू संख्या अ उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध करावे।

बिन्दू संख्या ब आपके कार्यालय द्वारा जारी उक्त पत्र दिनांक 29.08.2006 से नामान्तकरण 170 को निरस्त कर पूर्व की स्थिति मे करने वाले आदेश पत्र की छाया प्रति उपलब्ध करावे।

बिन्दू संख्या स क्या नामान्तकरण 170 सही नियमानुसार भरा गया था एंव क्या गोद पत्र को मात्र 5/–रूपये के स्टाम्प पर वसीयत माना जा सकता है। पुष्टि हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करने का श्रम करावे।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार पीपलू से अपील के संबंध मे जवाब हेतु पंत्राक 1819 दिनाक 15.11.2017,1984 दिनांक 30.11.2017,2017 दिनांक 12.12.2017,2072 दिनांक 20.12.2017 व 8 दिनांक 03.01.2018 द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी जवाब प्राप्त नही हुआ है,जबकि अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपलू को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपलू को निर्णय की प्रति प्रेषित कि जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

जिला कलेक्टर टोंक